

पत्रावली पेश हुई। वकालत समाप्त।
P.O सहय दीगर कार्य का स्थगन कर
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/5/24
को पेश हो।

18/3/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
पत्रावली (नारा) प्रार्थी हेतु दिनांक 16/5/24
को पेश हो।

16/5/24

वकील प्रार्थी उपस्थित वास्ते दाख्य प्रार्थी
पत्रावली दिनांक 24/5/24 को पेश हो।

24/5/24 पत्रावली पेश हुई। अतिमापक संघ ने
आज तक पत्रावली कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 24/7/24 को पेश हो।

22/7/24

वकील प्रार्थी उपस्थित तहसीलदार नीमकाथाना
से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः वकील
प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते आदेश पत्रावली
दिनांक 31/7/24 को पेश हो।


31/07/2024

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। वहस वकील प्रार्थी सुनी
थी, पत्रावली एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड तहसीलदार, नीमकाथाना
अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम नाथा की नांगल के भूमि
संख्या 149, 196 में दर्ज खसरा नम्बरान में प्रार्थी का नाम करणसिंह
हजारी सिंह दर्ज होना पाया जाता है। प्रार्थी करणसिंह के स्थान पर
सिंह पुत्र हजारी सिंह सही व शुद्ध नाम कराना चाहता है। नाम
होने में लिपिकिय त्रुटि किस स्तर पर हुयी है, प्रार्थी प्रमाणित करने
असफल रहा है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के
नामान्तकरण में भी प्रार्थी का नाम करणसिंह दर्ज होना बताया
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरुस्ती बावत् नही होना पाया जाता है।

(Signature)

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् रिकार्ड दुरुस्ती का होना नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर् हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

